

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 28 □ अंक- 125 □ रायपुर, शुक्रवा 30 मई 2025 □ पृष्ठ- 8 □ मूल्य- 2.50 रुपया □ रायपुर □ जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

अंबेडकर अस्पताल की अव्यवस्था पर हाई कोर्ट ने दागे कई सवाल, जवाब के लिए सरकार ने मांगा और समय

जिलासपुर, 30 मई (हाईवे चैनल)। राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं और मरीजों को हो रही परेशानी को लेकर सामने आई मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने सचिव से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार अपना जवाब नहीं दे पाई, महाधिवक्ता ने और समय की मांग की। जिसे चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की बेंच स्वीकार कर लिया। दरअसल, चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन में सुनवाई हुई थी, जिसमें मीडिया रिपोर्ट में प्रकाश में लाया गए मामले पर संज्ञान लेकर लाएवाही पर नाजगो जाहिर की थी, रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रदेश के सबसे सरकारी अस्पताल में टूटी हुई इंट्रान, दुर्घटनाओं में फंका, गंभीर चोटों और केमर के रोगियों को संवरी के लिए एक या दो दिन नहीं बल्कि 15 से 20 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार मरीजों को ऑपरेशन थियेटर में ले जाने के बाद वापस लाया जाता है, इससे गंभीर रोगियों की जान का जोखिम बढ़ गया है।



मरीजों के साथ मौनद परीक्षण का कहना है कि डॉक्टर और स्टाफ उन्हें बिना कारणे ऑपरेशन थियेटर से वापस भेज देते हैं, ऐसा एक-दो बार नहीं, बल्कि कई बार होता है, अगर वे इसका विरोध करते हैं, तो उन्हें उपरोक्त मामले के प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ से व्यक्तित्व हलफनामा दाखिल करने कहा था, लेकिन समय पर अपेक्षित हलफनामा संबंधित सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका, महाधिवक्ता प्रफुल्ल पत्र भारत ने कहा हलफनामा तैयार किए जाने की बात कहते हुए इसे प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया, महाधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए बेंच ने इस मामले को 10 जून को सुचीबद्ध किया है।

हाईकोर्ट ने प्रधानपाठक के निलंबन पर लगाई रोक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंडो जनजाति के प्रधानपाठक मानसिंह पंडो के निलंबन करने के आदेश पर रोक लगा दी है, मानसिंह पंडो के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर सवाल उठे थे, मामले में जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र परीक्षण समिति ने जांच के बाद उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया था, कार्रवाई से नाराज मानसिंह पंडो ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, कोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है, कोर्ट ने अगली सुनवाई तक निलंबन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, गौरतलब है कि मानसिंह पंडो के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था, अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अगली सुनवाई तक उनके निलंबन पर रोक लगा दी गई है।

जांच समिति के फैसले को दी थी सुनौती



छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रशिक्षण शिविर, मंत्री और विधायकों के सचिव और निज सहायकों की चल रही ट्रेनिंग

रायपुर, 30 मई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में आज प्रदेश के सभी मंत्रियों और विधायकों के सचिव और निज सहायकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन विस अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने किया।

विधानसभा की कार्यप्रणाली को लेकर सचिव और निज सहायकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह प्रशिक्षण बजट, प्रश्न, विधेयक, सुरक्षा के साथ अन्य विषयों पर आधारित है। इस कार्यक्रम में डॉ. रमन समेत नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत और संसदीय कार्य मंत्री केंदार कश्यप विशेष रूप से शामिल हुए हैं और इनका यहां उद्बोधन होता है।

अनियंत्रित होकर माजदा खाई में गिरी, 2 की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल

खैरागढ़, 30 मई (हाईवे चैनल)। सड़कों दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी आवाकों में कमी नहीं आ रही है, खैरागढ़ जिले में दो भीषण हादसे हुए हैं, इन हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों को गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है।



छिंद्वरी डेम के पास माजदा में सवार होकर गांव से लोग तेजपुता तोड़ने के बाद जंगल से लौट रहे थे, इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, हादसे में दो लोगों की मौत के बाद ही हाईवे चैनल, जबकि अन्य आठ घायल हो गए, स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, छिंद्वरी डेम की जितने बंजारे ने बताया कि फिलहाल प्रभावित जांच जारी है और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच को जा रही है, उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि हादसा वाहन की तकनीकी खराबी से हुआ या मानवीय लापरवाही के कारण से हुआ है।

दिग्गज गीतकार-लेखक एचएस वेकटेशमूर्ति का निधन

नई दिल्ली, 30 मई (न्यूज चैनल)। फिल्म इंडस्ट्री से पिछले कुछ दिनों से लगातार बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। कभी काजोल के चाचा अयान मुखर्जी तो कभी एक्टर राबेरा का निधन। वहीं, अब लाल ही में फिर एक दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई है। फ़िल्मी और साहित्य की दुनिया पर राज करने वाले एचएस वेकटेशमूर्ति का निधन हो गया है।



हुनेपा को बेहतरीन लिखित और खूबसूरत देने वाले वेकटेशमूर्ति का 80 साल की उम्र में देहांत हो गया। उनके इस देस दुनिया से जाने की खबर ने सबको गम में डूबी दिया है। एचएस वेकटेशमूर्ति पिछले कुछ वक से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे।

ब्रेकिंग न्यूज

पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी से हड़कप, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 30 मई (न्यूज चैनल)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों दो दिन के बिहार दौरे पर हैं। इसी बीच उनके दौरे के दौरान एक चौकाने वाली घटना सामने आई जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नौद उड़ा दी। 29 मई को पीएमओ के एक अधिकारी की वॉट्सएप पर जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हलकत में आ गईं। इस धमकी के बाद एनएसआई, आईबी और गृह मंत्रालय ने मिलकर जांच शुरू की। पता चला कि यह मैसेज बिहार के भागलपुर जिले से भेजा गया था। तेजी से कार्रवाई करते हुए, 4 घंटे के भीतर आरोपी समीर रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया।



अंकिता मर्डर केस : कोर्ट ने सुनाया फैसला, 3 आरोपी दोषी करार

नई दिल्ली, 30 मई (न्यूज चैनल)। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोर्टद्वारा स्थित अरर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर पुलिसकृत आर्थ, उसके कर्मचारी सौरभ और अंकिता गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। आरोपियों पर 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। अभी अंतिम निर्णय कुछ ही देर में आएगा। अदालत के फैसले पर पूरे उत्तराखंड और देश के लोगों की निगाहें टिकी थी। कोर्टद्वारा में इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। गद्वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से पुलिस फोर्स कोटद्वार बुलाई गई है। अदालत परिसर के बाहर की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। बीती 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिकांश विशेष लोक अभियोजक अनवनी नेगी को और से बचाव पक्ष की बचस का सुनवाई करार किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों को बहस व दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की थी। कोर्टद्वारा स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी, 2023 को मामले की पहली सुनवाई शुरू हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया।



मुवतसर में पारखा फैक्ट्री में विस्फोट में 5 की मौत

नई दिल्ली, 30 मई (न्यूज चैनल)। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार (30 मई, 2025) को पंजाब के श्री मुकसर साहिब जिले के एक गांव के पास एक पटाखा निर्माण और पैकेजिंग इकाई में हुए विस्फोट में पांच प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। श्री मुकसर साहिब के लांबी इलाके में सिंचावली-कोटली रोड पर स्थित दी मॉजला फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। कल देर रात एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ... फैक्ट्री में करीब 50 मजदूर काम करते हैं। पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) जसपाल सिंह ने बताया कि चार शव बरामद किए गए हैं और 27 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद कई श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है। पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), लांबी जसपाल सिंह ने बताया, कल देर रात एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ।

दुर्ग के कौड़ीकसा में आर्सेनिक पानी से फैल रही बीमारी पर हाई कोर्ट लिय सज्ञान

जिलासपुर, 30 मई (हाईवे चैनल)। हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने दुर्ग जिले के कौड़ीकसा गांव में आर्सेनिक पानी के इस्तेमाल से फैल रही बीमारियों पर संज्ञान लिया है, कोर्ट ने सुनवाई के बाद कोर्ट कमिशनर नियुक्त कर जांच करने और वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, सुनवाई के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव ने शायथन प्रस्तुत कर बताया कि गांव में लगभग 20 साल पहले ही फिल्टर प्लांट लगा दिया गया था, जिससे लोगों को साफ पानी उपलब्ध करवा जा रहा है, वर्तमान में इस क्षेत्र के पानी में आर्सेनिक की समस्या

किया कोर्ट कमिशनर नियुक्त

बीमारी फैलने पर कोर्ट ने संज्ञान लिया, इस गांव की जनसंख्या लगभग 2500 है, जिसमें किसी के घर में चर्म रोग है तो किसी के घर में अन्य रोगों से लोग पीड़ित होने की जानकारी सामने आई है।



चूरा- सुनौती हो, पीएम मोदी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ।
चुड़िया- हां जी, भारतीय संस्कृति में सिंदूर रीतिरिवाज है तो ऑपरेशन सिंदूर कैसे खत्म होगा?

एमएमआई नारायणा हेल्थ का विश्वास अब धमदारी के और पास

आज 30 मई 2025 से शुभारंभ

एमएमआई नारायणा हेल्थ क्लिनिक

9669911911

जिला अस्पताल के सामने, गोपाल मेडिकल के पास, नेहरू गार्डन रोड, धमतरी

एमएमआई नारायणा हॉस्पिटल, लालपुर, रायपुर | Take Care

1800 309 0309